

(कृपया इसे प्रकाशन में सम्मिलित ना करें)

कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता जलग्रहण विकास एवं भू-संरक्षण, जालोर

(Email :- piawcdc.jalore@rajasthan.gov.in)

क्रमांक RGJSY-1/E-NIT/जालोर/2021-22/584-588

दिनांक 05/08/2021

ई-निविदा सूचना 01/2021-22

राजस्थान के राज्यपाल महोदय की ओर से कार्यालय के अधीन ब्लॉक जालोर एवं सायला की राजीव गांधी जल संचय योजना के प्रथम चरण अतर्गत मशीनरी द्वारा निर्माण कार्य यथा कन्टिन्युस कन्टर ट्रेच (सीसीटी), स्ट्रगर्ड ट्रेच (एस.जी.टी.), एमपीटी चारागाह विकास कार्य, डीप सीसीटी, टांका मय डिफेट लाईबिलिटी अवधि दो वर्ष के लिए जो कि निविदा प्रपत्र में अंकित है, के लिए उपयुक्त श्रेणी में राजस्थान के पंजीकृत (सार्वजनिक निर्माण विभाग, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, जल संसाधन विभाग, राजस्थान एक्ट अधिनियम -2003 एवं राजस्थान पंचायतीराज नियम-1996 अन्तर्गत व अन्य विभाग से पंजीकृत संवेदक) सक्षम श्रेणी के संवेदकों से निर्धारित प्रपत्र में ई-टेंडरिंग प्रक्रिया हेतु ऑनलाईन रेट कान्ट्रेक्ट हेतु निविदाये आमंत्रित की जाती है।

निविदा से संबंधित समस्त विवरण वेब साईज <https://eproc.rajasthan.gov.in/>, <https://sppp.rajasthan.gov.in/> एवं www.Watershed.rajasthan.gov.in पर देखा जा सकता है संवेदक अपने डिजिटल हस्ताक्षर के माध्यम से वित्त (जीएण्डटी) विभाग राजस्थान के परिपत्र क्रमांक पं. 6 (5) वित्त/साविलेनि/2018 दिनांक 27.04.2020 अनुसार संबंधित लेखाशीर्ष मे ई-ग्रास पर राशि जमा कराकर चालान की प्रति <http://eproc.rajasthan.gov.in/> पर अपलोड करे एवं वांछित आवश्यक दस्तावेज भी <http://eproc.rajasthan.gov.in/> पर अपलोड करें।

क्रमांक	पंचायत समिति	ग्राम पंचायत	कार्य का नाम	अनुमानित लागत (लाखों में)	घरोहर राशि (0 प्रतिशत) कोविड-19 के लिए दी गई छुट दिसम्बर 2021 के कारण	निविदा शुल्क रु	प्रोससिंग फीस नामें MD RISL Jaipur	कार्य अवधि
1	जालोर	आकोली सियाणा सिवणा	सी.सी.टी 1 , एमपीटी 7	10.97	0	500/-	500/-	30 नवंबर 2021 तक
		नया नारणावास बागरा	चारागाह विकास कार्य 1 सी.सी.टी 14, एमपीटी 37, एस.जी.टी 13	21.51	0	500/-	500/-	
				50.28	0	1000/-	1000/-	
2	सायला	आवलोज	सी.सी.टी 10, एमपीटी 1, डीप सीसीटी 5	11.16	0	500/-	500/-	30 नवंबर 2021 तक
		डांगरा	चारागाह विकास कार्य 1	21.40	0	500/-	500/-	
		आवलोज	चारागाह विकास कार्य 1	21.40	0	500/-	500/-	
		डांगरा	सीसीटी 27, डीप सीसीटी 11	29.66	0	500/-	500/-	
		मानडबला	एमपीटी 1, सीसीटी 24, डीप सीसीटी 5	23.24	0	500/-	500/-	
		डांगरा, मानडबला एवं आवलोज	टांका कार्य 33	49.75	0	500/-	500/-	
निविदा प्रपत्र वेब साईट http://eproc.rajasthan.gov.in/ से डाउनलोड एवं अपलोड करने की दिनांक एवं समय					दिनांक 12.08.2021 प्रांत 9.30 बजे से			दिनांक 27.08.2021 सांय 6.00 बजे तक।
निविदा शुल्क एवं प्रोससिंग फीस की राशि नीचे लिखे लेखाशीर्ष में जमा कराने की अंतिम दिनांक व समय								दिनांक 27.08.2021 सांय 6.00 बजे तक।
ऑनलाईन निविदा खोलने की दिनांक एवं समय								दिनांक 28.08.2021 दोपहर 2.00 बजे से

निविदा शुल्क लेखाशीर्ष -

0075-00-800-52-01 निविदा शुल्क की प्राप्तियां

प्रोससिंग फीस (RISL) लेखाशीर्ष

8658-00-102-16-01 सिविल विभाग



अधिशाषी अभियन्ता

जलग्रहण विकास अधिशाषी अभियन्ता जालोर
जलग्रहण विकास एवं भू-संरक्षण विभाग
पंचायत समिति, जालोर

5/8/2021

प्रतिलिपी : निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।

1. श्रीमान आयुक्त, जलग्रहण विकास एवं भू-संरक्षण विभाग राजस्थान जयपुर को भेजकर निवेदन है कि कृपया उक्त निविदा को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करावें।
2. श्रीमान निदेशक सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग राजस्थान जयपुर प्रेषित कर निवेदन है कि उक्त निविदा सूचना को आपके कार्यालय के नोटिस बोर्ड व वेबसाईट पर प्रकाशित करावें।
3. श्रीमान जिला कलक्टर महोदय/श्रीमान मुख्य कार्यकारी अधिकारी महोदय जालोर
4. श्रीमान परियोजना प्रबन्धक एवं अधीक्षण अभियन्ता वाटरशेड सेल कम डाटा सेन्टर जालोर
5. नोटिस बोर्ड कार्यालय हाजा।



अधिशायी अभियन्ता

जलग्रहण विकास एवं भू-संरक्षण जालोर

जलग्रहण विकास एवं भू-संरक्षण विभाग
पंचायत समिति, जालोर

(578/102)

(समाचार पत्रों में प्रकाशन बाबत)

कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता, जलग्रहण विकास एवं भू-संरक्षण, जालोर

क्रमांक : RGJSY-Ist/21-22/Tender/590

दिनांक : 05/08/2021


अल्पकालिन ई-निविदा सूचना संख्या : 01/2021-22

राजस्थान के राज्यपाल महोदय की ओर से कार्यालय के अधीन ब्लॉक जालोर एवं सायला की राजीव गांधी जल संचय योजना के प्रथम चरण अंतर्गत मशीनरी द्वारा निर्माण कार्य यथा कन्टिन्युस कन्टर ट्रेच (सीसीटी), स्ट्रगर्ड ट्रेच (एस.जी.टी.), एमपीटी, चारागाह विकास कार्य, डीप सीसीटी, टांका मय डिफेट लाईबिलिटी अवधि दो वर्ष के लिए जो कि निविदा प्रपत्र में अंकित है, के लिए उपयुक्त श्रेणी में राजस्थान के पंजीकृत (सार्वजनिक निर्माण विभाग, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, जल संसाधन विभाग, राजस्थान एक्ट अधिनियम -2003 एवं राजस्थान पंचायतीराज नियम-1996 अन्तर्गत व अन्य विभाग से पंजीकृत संवेदक) सक्षम श्रेणी के संवेदकों से निर्धारित प्रपत्र में ई-टेंडरिंग प्रक्रिया हेतु ऑनलाईन रेट कान्ट्रैक्ट हेतु निविदाये आमंत्रित की जाती है।

निविदा से संबंधित समस्त विवरण वेब साईज <https://eproc.rajasthan.gov.in/>, <https://sppp.rajasthan.gov.in/> एवं www.Watershed.rajasthan.gov.in पर देखा जा सकता है संवेदक अपने डिजीटल हस्ताक्षर के माध्यम से वित्त (जीएण्डटी) विभाग राजस्थान के परिपत्र क्रमांक पं. 6 (5) वित्त/साविलेनि/2018 दिनांक 27.04.2020 अनुसार संबंधित लेखाशीर्ष मे ई-ग्रास पर राशि जमा कराकर चालान की प्रति <http://eproc.rajasthan.gov.in/> पर अपलोड करे एवं वांछित आवश्यक दस्तावेज भी <http://eproc.rajasthan.gov.in/> पर अपलोड करें। ऑनलाईन निविदा भरने की प्रक्रिया संवेदक द्वारा डिजीटल हस्ताक्षर के माध्यम से दिनांक 12.08.2021 को प्रातः 9:30 बजे से दिनांक 27.08.2021 को सांय 06:00 बजे तक की जा सकेगी।

NIB CODE- WISC2122A0251

निविदा संख्या	यू.बी.एन. नम्बर	निविदा संख्या	यू.बी.एन. नम्बर
1	WISC2122WISOB00447	6	WISC2122WISOB00452
2	WISC2122WISOB00448	7	WISC2122WISOB00453
3	WISC2122WISOB00449	8	WISC2122WISOB00454
4	WISC2122WISOB00450	9	WISC2122WISOB00455
5	WISC2122WISOB00451	-	-


अधिशाषी अभियन्ता,
ज.ग्र.वि.एवं.भू-सं. जालोर
अधिशाषी अभियन्ता
जिला जालोर
जलग्रहण विकास एवं भू-संरक्षण विभाग
पंचायत समिति, जालोर


कृपया इसे प्रकाशन में सम्मिलित ना करें।

क्रमांक : RGJSY-Ist/21-22/Tender/

प्रतिलिपि वास्ते आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

- 1- श्रीमान् निदेशक, निदेशालय सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग (विज्ञापन), भासन सचिवालय, जयपुर को प्रेषित कर निवेदन हैं कि उक्त निविदा सूचना को अधिकतम एक राज्य स्तरीय दैनिक समाचार पत्र में जोधपुर संभाग स्तरीय संस्करण में एवं एक मुख्य स्थानीय दैनिक समाचार पत्र में नियमानुसार न्यूनतम जगह में अविलम्ब प्रकाशित कराये जाने की कार्यवाही करावें।

दिनांक :


अधिशाषी अभियन्ता,
ज.ग्र.वि.एवं.भू-सं. जालोर
अधिशाषी अभियन्ता
जिला जालोर
जलग्रहण विकास एवं भू-संरक्षण विभाग
पंचायत समिति, जालोर

कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता, जलग्रहण विकास एवं भू-संरक्षण, जालोर

क्रमांक : पं.स.जालोर/ई-निविदा/21-22/जालोर/RGJSY-Ist/589

दिनांक : 05/08/2021

श्रीमान् नदेशक

सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग

भासन सचिवालय राजस्थान जयपुर

विषय :- ई- निविदा सूचना 01/2021-22 के प्रकाशन बाबत।


प्रसंग :- इस कार्यालय के पत्रांक पं.स.जालोर / ई-निविदा / 21-22 / जालोर / RGJSY-Ist / 584-588
दिनांक 05.08.2021 द्वारा जारी निविदा सूचना के क्रम में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत एवं प्रासंगिक पत्र के सन्दर्भ में निवेदन है कि संलग्न ई-निविदा सूचना 01/2021-22 को नियमानुसार एक मुख्य क्षेत्रीय दैनिक समाचार पत्र में न्यूनतम साईज में भवेत भयाम में प्रकाशित करवाने का श्रम करावे। पत्र के साथ निविदा वाईज UBN नम्बर की सूची (7 प्रति में) के साथ-साथ सम्पूर्ण निविदा की सीडी भी संलग्न हैं एवं ई-निविदा सूचना जारी करने का बिल कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता, जलग्रहण विकास एवं भू-संरक्षण, जालोर के नाम से जारी कराने का कष्ट करावे।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार

1. ई-निविदा सूचना 01/2021-22
2. UBN नम्बर की सूची (7 प्रति में)
3. सीडी


अधिशाषी अभियन्ता
जलग्रहण विकास एवं भू-संरक्षण
अधिशाषी अभियन्ता
जलग्रहण विकास एवं भू-संरक्षण विभाग
पंचायत समिति, जालोर

कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता, जलग्रहण विकास एवं भू-संरक्षण, जालोर

(E-mail-piawcdc.jalore@rajasthan.gov.in)

निविदा भर्तें


1. निविदा की समस्त कार्यवाही ऑनलाईन होगी। निविदा प्रपत्रों को <https://eproc.rajasthan.gov.in/> से डाउनलोड किया जा सकता है। इन निविदाओं में भाग लेने वाले संवेदक निविदा को इलेक्ट्रॉनिक फोरमेट में <https://eproc.rajasthan.gov.in/> पर अपलोड करावें। हार्ड कॉपी कार्यालय में जमा नहीं करवानी हैं।
2. निविदाएँ वित्तीय एवं तकनीकी दो बिडों में ऑनलाईन आमंत्रित की गई हैं जिन्हे ऑनलाईन तकनीकी एवं वित्तीय बीड में अलग-अलग खोली जावेगी। निविदा प्रपत्र इलेक्ट्रॉनिक फोरमेट में <https://eproc.rajasthan.gov.in/> पर दिनांक 27-08-2021 सांय 06:00 बजे तक अपलोड किये जा सकते हैं एवं प्राप्त तकनीकी एवं वित्तीय निविदाएं इलेक्ट्रॉनिक फोरमेट में <https://eproc.rajasthan.gov.in/> पर दिनांक 28.08.2021 दोपहर 02:00 से अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में निविदा खोली जाएगी। तकनीकी निविदा स्वीकृत होने के उपरान्त ही वित्तीय निविदा खोली जाएगी। निविदा खोलने की तिथी को किसी कारणवश यदि समस्त निविदाएं नहीं खोली जा सकती हैं तो अगले कार्यदिवस में भोष निविदाएं खोलने का कार्य जारी रखा जाएगा।
3. निविदा भुल्क एवं प्रोसेसिंग फीस को वित्त (जीएण्डटी) विभाग राजस्थान के परिपत्र क्रमांक प. 6 (5) वित्त/साविलेनि/2018 दिनांक 27.04.2020 (प्रति संलग्न हैं) अनुसार संबंधित लेखाशीर्ष में ई-ग्रास पर चालान द्वारा जमा करा कर ई-ग्रास चालान की प्रति को <https://eproc.rajasthan.gov.in/> पर अन्य वांछित दस्तावेजों के साथ अपलोड करना अनिवार्य होगा।
4. ई-ग्रास पर चालान द्वारा राशि जमा कराने हेतु लेखाशीर्ष का विवरण निम्नानुसार हैं—
 - अ. निविदा भुल्क लेखाशीर्ष :-
0075-00-800-52-01 निविदा भुल्क की प्राप्तियां
 - ब. प्रोससिंग फीस (RISL) लेखा शीर्ष :-
8658-00-102-16-01 सिविल विभाग
 - स. वित्त विभाग राजस्थान के आदेश क्रमांक एफ 2 (1) वित्त (जीएण्डटी)-एसपीएफ/2017 जयपुर दिनांक 23.12.2020 की पालना में धरोहर राशि के स्थान पर 50 रु के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर बिड सिक्यूरीटी डिक्लेरेशन अपलोड करना होगा।
5. निविदा में तकनीकी बिड के साथ संलग्न किये जाने वाले दस्तावेज—
 - A. ई-ग्रास पर जमा कराई गई राशि के चालान की प्रति संलग्न करना आव यक होगा।
 - B. संवेदक पंजीयन प्रमाण पत्र की प्रति संलग्न करना आव यक होगा।।
 - C. जी.एस.टी. नम्बर पंजीयन की प्रति संलग्न करना आवश्यक होगा।
 - D. पेन कार्ड की प्रति संलग्न करना आवश्यक होगा।
 - E. फर्म के पास निर्माण कार्य को करवाने हेतु दक्ष अभियंता के होने का प्रमाण पत्र मय अभियंता की फर्म के साथ किये गए अनुबंध की प्रति (रु. 50 के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर) संलग्न करना आवश्यक होगा।।
 - F. बिड डॉक्यूमेंट (Tender bid document) को निविदा प्रपत्रों के साथ निविदा भर्तों का प्रपत्र मय हस्ताक्षर एवं मोहर के साथ पूर्ण कर अपलोड करना अनिवार्य होगा।
 - G. संवेदक के पास स्वयं/फर्म के नाम पंजीकृत आवश्यक मशीनरीज के पंजीकरण का प्रमाण अथवा कार्य निष्पादन के लिए आवश्यक मशीनरीज नहीं हैं और फर्म/संवेदक अन्यत्र से व्यवस्था करते हैं तो जो फर्म/संवेदक मशीनरीज उपलब्ध कराएगा उसका सम्बन्धित मशीनरीज का पंजीकरण का प्रमाण पत्र एवं इसके साथ रु. 100 का नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर यह हलफनामा देना होगा कि उक्त मशीनरीज कार्य आवंटन होने पर फर्म/संवेदक की और से उपलब्ध करवाई जाएगी, संलग्न करना आवश्यक होगा।

H. निविदा हेतु पात्र संवेदकों का पंजीयन प्रमाण-पत्र की प्रति संलग्न करना आवश्यक होगा। निम्न श्रेणी के अनुसार संवेदक पात्र होंगे-


रूपये 15.00 लाख तक डी श्रेणी संवेदक
रूपये 50.00 लाख तक सी श्रेणी संवेदक
रूपये 150.00 लाख तक बी श्रेणी संवेदक
रूपये 300.00 लाख तक ए श्रेणी संवेदक
किसी भी सीमा तक एए श्रेणी संवेदक।

- I. निविदादाता द्वारा इस आशय का शपथ पत्र 50 रूपये के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर संलग्न किया जायेगा कि उसका पंजीयन सम्बन्धित विभाग द्वारा निरस्त/ब्लेक लिस्टेड/डीबार नहीं किया हुआ है, संलग्न करना आवश्यक होगा।
- J. वित्त विभाग राजस्थान के आदेश क्रमांक एफ 2 (1) वित्त (जीएण्डटी)-एसपीएफ/2017 जयपुर दिनांक 23.12.2020 की पालना में धरोहर राशि के स्थान पर 50 रु के नोन ज्यूडिसियल स्टाम्प पर बिड सिक्युरिटी डिवेलेरेशन अपलोड करना होगा।

6. तकनीकी बिड में उपरोक्त समस्त वांछित दस्तावेजों की प्रतियों को <https://eproc.rajasthan.gov.in/> पर अपलोड किया जाना आवश्यक होगा, उपरोक्त दस्तावेज तकनीकी बिड में ऑनलाईन पाये जाने पर ही वित्तीय बिड खोली जावेगी। धरोहर राशि, प्रोसेसिंग फीस एवं निविदा शुल्क नगद अथवा अन्य के रूप में स्वीकार नहीं की जावेगी।
7. राजीव गांधी जल संचय योजना प्रथम चरण निविदा की विधि मान्यता, कार्यादेश जारी करने की दिनांक से निर्धारित अवधि तक पूर्ण करना होगा।
8. कार्य सामग्री सहित पूर्ण आईटम किया जाना है इस हेतु SBD (Stand bid document) में सम्मिलित आईटम में सामग्री की दरों में बढोतरी हेतु अतिरिक्त राशि देय नहीं होगी। नियमानुसार जी.एस.टी./ इन्कम टैक्स/रॉयल्टी व लेबर सैस की कटौती कर ही भुगतान किया जावेगा।
9. निर्माण कार्य निर्धारित निविदा अवधि तक Technical Specification के अनुसार किया जावेगा। कार्यकारी एजेन्सी/ तकनीकी अधिकारी को आवश्यकता पडने पर निविदादाता द्वारा सामग्री के आपूर्ति बिल के साथ सामग्री की अनुमोदित लेबोरेटरी टेस्ट रिपोर्ट संलग्न करनी होगी। मानक आईटम आई.एस.आई. मार्का का होना चाहिये। वि. निर्देश (Specification) से निम्न स्तर की सामग्री पाये जाने पर कार्य का भुगतान नहीं किया जावेगा तथा Executive Engineer, WD&SC, Jalore का निर्णय अंतिम व मान्य होगा।
10. राजस्थान सरकार के ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग के पत्र क्रमांक: एफ.4 (82)पंरावि/पीसी/बीएसआर/निविदा/1584 दिनांक 11.08.2015 के स्थायी 17/2015 के अनुसार-
1. यदि कोई बोलीदाता "जी" अनुसूची दर से 10 प्रतिशत की दर से कम दर प्रस्तुत करता है तो बोलीदाता को 10 प्रतिशत कम दर से प्रस्तुत दर के बराबर अतिरिक्त कार्य सम्पादन प्रतिभूति प्रस्तुत करनी होगी। यह राशि अनुबन्ध सम्पादन के समय जमा करानी हागी व कार्य पूर्ण होने के पश्चात् वापस लौटाई जावेगी।
 2. न्यूनतम बोलीदाता को दर स्वीकार करने का पत्र जारी किया जावेगा। इस पत्र जारी करने की दिनांक से 7 दिवस में फिक्स डिपोजिट रसीद के रूप में जमा करायी जा सकेगी। इन प्रतिभूतियों की वैधता निर्धारित कार्य पूर्ण होने की वास्तविक तिथि में कार्य पूर्ण नहीं कराया जाता है तो निविदा के साथ प्राप्त की गई धरोहर राशि जब्त कर ली जावेगी। यदि कार्य संतोशजनक रूप से पूर्ण नहीं किया जाता है तो प्रतिभूति भी जब्त कर ली जायेगी।
11. कार्य का कार्यादेश एवं भुगतान उपलब्ध राशि अनुसार किया जावेगा। फर्म/संवेदक अपनी संविदा को या उसके किसी सारवान भाग को किसी अन्य एजेन्सी को नहीं सौंपेगा या उप-भाडे (सबलेट) पर नहीं देगा।
12. जिस फर्म की दरें स्वीकृत की जायेगी, उसे नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर अनुबन्ध करना होगा जिसका व्यय सम्बन्धित फर्म को वहन करना होगा एवं फर्म को धरोहर राशि के अतिरिक्त कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि



- (Performance Security) दर स्वीकार करने का पत्र जारी करने की दिनांक से 7 दिवस के अन्दर सावधी जमा (एफ.डी.आर.) के रूप में जमा करवानी होगी।
13. निविदा सूचना एवं निविदा पत्र के साथ संलग्न निविदा शर्तों की पालना नहीं करने पर पूर्व में जमा धरोहर राशि एवं प्रतिभूति राशि जब्त कर ली जायेगी तथा भविष्य में इस विभाग में निविदाओं में भाग लेने हेतु डीबार/ब्लेक लिस्टेड कर दिया जायेगा।
 14. यदि कार्य में किसी भी प्रकार की कोई क्षति होती है तो उसकी समस्त जिम्मेदारी संवेदक की होगी जिसका कोई अतिरिक्त भुगतान संवेदक को नहीं किया जावेगा।
 15. विभाग द्वारा ले-आउट एवं अन्य किसी भी बैठक में समय-समय पर बुलाये जाने पर संवेदक को स्वयं उपस्थित होना होगा। उसके प्रतिनिधि को मान्य नहीं माना जावेगा।
 16. निर्माण कार्य में नियमानुसार पानी से तराई व मिट्टी को कोमपेक्शन हेतु टेंकर/रोड रोलर इत्यादि आवश्यक मशीनरी उपलब्ध कराकर कार्य कराया जाना होगा जिसका अतिरिक्त भुगतान देय नहीं होगा।
 17. धरोहर राशि/ प्रतिभूति राशि पर विभाग द्वारा ब्याज का भुगतान नहीं किया जावेगा।
 18. प्रतिभूति राशि को पूर्ण या आंशिक रूप से निम्नलिखित मामलों में समपहृत (जब्त) किया जावेगा—
 - A. जब निविदा/संविदा की शर्तों का उल्लंघन किया गया हो।
 - B. जब निविदादाता सम्पूर्ण कार्य संतोशजनक ढंग से करने में असफल रहा हो।
 19. निविदा सूचना में वर्णित सामग्री की मात्रा अनुमानित है। मात्रा में कमी अथवा वृद्धि हो सकती है। किसी भी कार्य के मौके स्थिति के अनुसार SBD (Standard Bid Document) में कोई भी परिवर्तन/संशोधन करने के लिए विभाग अपने पास पूर्ण अधिकार रखता है।
 20. निर्माण सामग्री सप्लाई/ निर्माण कार्य के दौरान जान माल के नुकसान की जिम्मेदारी स्वयं संवेदक की होगी।
 21. निविदा राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2013 के अनुसार उपापन प्रक्रिया के दौरान उपापन संस्था के निर्णय, कार्यवाही या लोप, इस अधिनियम या इसके अधीन जारी नियमों के उल्लंघन के सम्बन्ध में प्रथम अपील अधिकारी अधीक्षण अभियंता एवं परियोजना प्रबंधक, वाटरशेड सेल कम डाटा सेंटर, जिला परिषद, जालोर तथा द्वितीय अपील अधिकारी प्रशासनिक विभाग होगा।
 22. किसी भी निविदा को बिना कारण बताये स्वीकृत/अस्वीकृत करने का पूर्ण अधिकार विभाग के पास सुरक्षित रहेगा।
 23. कार्यों के क्रियान्वयन हेतु ले-आउट की जिम्मेदारी संवेदक की होगी जिसके लिए निविदा प्रपत्र में दक्ष अभियंता रखने की शर्त रखी गई है। जिसका विभाग द्वारा अतिरिक्त भुगतान नहीं किया जावेगा।
 24. कार्यों के सुचारु क्रियान्वयन हेतु स्थानीय समुदाय से समन्वय व सामंजस्य स्थापित करने की जिम्मेदारी संवेदक की रहेगी। भुगतान हेतु संवेदक को कार्य बिल के साथ भुगतान अभिशंशा प्रपत्र पर सम्बन्धित क्षेत्र के जलग्रहण उपसमिति के पदाधिकारी एवं अन्य अधिकारी के हस्ताक्षर करवा कर प्रस्तुत करना होगा, अन्यथा भुगतान नहीं किया जावेगा।
 25. कृषि भूमि में अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जन जाति लाभार्थी से कार्य पर 5 प्रतिशत कृषक अंशदान एवं सामान्य से 10 प्रतिशत कृषक अंशदान राशि प्राप्त करने की जिम्मेदारी संवेदक की होगी। संवेदक को कार्य की लागत का विभागीय मापदण्डों के अनुसार अंशदान कार्यालय में जमा करवाना होगा अन्यथा संबंधित बिल में से अंशदान राशि काटकर भुगतान किया जावेगा तथा अंशदान राशि को सम्बन्धित कोश के खाते में जमा कराया जाएगा।
 26. निविदा आवेदन हेतु निविदा की विस्तृत शर्तें कार्य दिवस में कार्यालय में देखी जा सकती हैं।
 27. आर.टी.पी.पी. एक्ट 2012 व आर.टी.पी.पी. रूल 2013 की समस्त शर्तें लागू होगी।
 28. कार्य राजीव गांधी जल संचय योजना प्रथम चरण में स्वीकृत जलग्रहण क्षेत्र में एक साथ प्रारम्भ किया जाना है। इस हेतु संवेदक को प्रयाप्त मशीनरी, स्टाफ एवं दक्ष अभियंता उपलब्ध कराना होगा।
 29. एक कार्य पूर्णतया ड्रसिंग/कॉम्पेक्शन पूर्ण कर ही अगला कार्य प्रारम्भ किया जावेगा।
 30. कार्य नक्शे में माईको जलग्रहण क्षेत्र की Ridge Line में आ रहे खेतों में किया जावेगा। जलग्रहण क्षेत्र अन्तर्गत स्वीकृत क्षेत्र से बाहर किये गए कार्य का भुगतान देय नहीं होगा।




31. समस्त कार्य विभाग की टेक्नीकल गाईडलाईन के अनुसार ही किया जावेगा।
32. चिनाई में 23 सेमी (9 इंच) मोटाई के पत्थर ही प्रयुक्त किये जावेंगे।
33. कार्य के दौरान किसी भी प्रकार की कमी होने पर कार्य को रूकवान/टेण्डर निरस्त करने के पूर्ण अधिकार अधोहस्ताक्षरकर्ता के पास होगा।
34. किये गये कार्य का Maintenance दो वर्ष तक संरक्षित रखे जाने की संवेदक की जिम्मेदारी होगी, इस दौरान कार्य में किसी भी प्रकार की क्षति/चोरी होने पर कार्य तुरन्त संवेदक को दुरुस्त करना होगा। संवेदक द्वारा दुरुस्त नही करने पर विभाग द्वारा अपने स्तर पर कार्य दुरुस्त कराये जाकर संवेदक की प्रतिभूति राशि से कटौती कर ली जावेगी।
35. वित्त विभाग के परिवत्र: प-1(1)वित्त/GF&AR/2007 दिनांक 21.04.2010 परिपत्र संख्या 07/2010 के तहत सामग्री की दरें सभी प्रकार के टैक्स, रॉयल्टी इत्यादि सहित होगी। सभी प्रकार के टैक्स तथा जी.एस.टी., रॉयल्टी अन्य किसी प्रकार का सम्बन्धित टैक्स इत्यादि को राजकीय कोश में नियमानुसार जमा करवाने की समस्त जिम्मेदारी निविदादाता की होगी।
36. मृदा कार्यों के लिए किये जाने वाले घनत्व जांच के आवश्यक उपकरण कार्य स्थल पर संवेदक को रखना अनिवार्य होगा।
37. कार्य निष्पादन हेतु श्रीमान् आयुक्त महोदय द्वारा उनके पत्रांक: एफ 20 (229)आजभूसं/पीएफसी/2018/5293-408 दिनांक 12.02.2018 में जारी शड्यूल ऑफ पॉवर लागू होगी।
38. समस्त प्रकार के विवाद की स्थिति में न्यायक्षेत्र पंचायत समिति जालोर, जिला जालोर होगा।
39. वित्त विभाग राजस्थान के आदेश क्रमांक एफ 2 (1) वित्त (जीएण्डटी)-एसपीएफ/2017 जयपुर दिनांक 23.12.2020 की पालना में धरोहर राशि के स्थान पर 50 रु के नोन ज्यूडीसियल स्टाम्प पर बिड सिक्कुरीटी डिक्लेरेशन अपलोड करना होगा।
40. निर्माण कार्य में विलम्ब के लिए शास्ति निम्नानुसार आरोपित करने का प्रावधान-

पूर्ण निश्चित अवधि में समयावधि	1/4 अवधि	1/2 अवधि	3/4 अवधि	पूर्ण अवधि
न्यूनतम कार्य सम्पादन (लागत अनुसार)	1/8 लागत	1/3 लागत	3/4 लागत	पूर्ण लागत
विलम्ब के लिए देय शास्ति की दर	विहित समय अवधि की 1/4 अवधि तक का विलम्ब अनिष्पादित रहे कार्य का (लागत का) 2.5 प्रतिशत	विहित समय अवधि की 1/4 अवधि से अधिक किन्तु 1/2 तक का विलम्ब अनिष्पादित रहे कार्य का (लागत का) 5 प्रतिशत	विहित समय अवधि की 1/2 अवधि से अधिक किन्तु 3/4 अवधि तक का विलम्ब अनिष्पादित रहे कार्य का (लागत का) 7.5 प्रतिशत	विहित समय अवधि की 3/4 अवधि से अधिक विलम्ब अनिष्पादित रहे कार्य का (लागत का) 10 प्रतिशत

उदाहरणार्थ- यदि किसी निर्माण कार्य कर स्वीकृत राशि (पूर्ण लागत) 24.00 लाख रुपये हैं एवं कार्य सम्पादित करने की पूर्ण अवधि 8 माह हैं तो उक्त कार्य की 1/4 अवधि का तात्पर्य 2 माह एवं न्यूनतम कार्य सम्पादन (लागत अनुसार) 1/8 भाग पूर्ण होना चाहिये अर्थात् 3.00 लाख रुपये का होना चाहिये। यदि उक्त कार्य का निर्धारित अवधि में राशि रुपये 2.00 लाख का ही खर्चा किया गया है तो शेष अन्तर राशि रुपये 1.00 लाख पर 2.5 प्रतिशत शास्ति वसूल की जायेगी। इस प्रकार की लगाई गई शास्ति को अगली कार्य अवधि चरण में आनुपातिक कार्य पूर्ण होने पर उसका पुनर्भरण हो सकेगा।

मैं निविदा सूचना एवं उपरोक्त प्रपत्र में वर्णित सभी शर्तों की पालना हेतु सहमत हूँ।


5/8/21